प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

<u>प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021</u>

रिपार्ट पटवारी देवरिया व भू.अ. निरिक्षक मोखुन्दा तहसील रायपुर

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम देवरिया के खाता संख्या 134, 144 में नंदा पि. रामा तेली दर्ज रिकार्ड है जबकि हस्त खातेदार का आधार अनुसार वास्तविक नाम नंदराम पि. रामलाल तेली है। अतः दुरूस्ती कर इसे नन्दराम पि. रामलाल तेली किया जाना उचित है।

06/10/2021
पटवारी देवरिया

ILR मोखुन्दा
6/10/2021

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार रायपुर

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक मोखुन्दा के अनुसार ग्राम देवरिया के खाता संख्या 134, 144 में नंदा पिता रामा तेली के बजाय नंदराम पिता रामा तेली दुरूस्ती किया जाना उचित है।

तहसीलदार
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

क्र/राजस्व/21/
6/10/21

आदेश

उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला-भीलवाड़ा
प्र० गांव के संग अभियान-2021 कैम्प-देवरिया
क्रमांक/राजस्व/2021/7/2021 दि. 06.10.2021

तहसीलदार रायपुर की मान्य रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी खातेदार की नंदराम के आवेदन अनुसार ग्राम देवरिया मे अंकित खा.सं. 134 व 144 मे दर्ज खातेदार नंदा पि. रामा के बजाय नंदराम पि. रामा तेली साकिन के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे।

6.10.2021
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.18 16:10:06 IST
Reason: SelfAttested

FORM NO.03
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

अनवान

नन्दराम पिता रामा तेली निवासी देवरिया तहसील रायपुर — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा — विपक्षी

किस्म मुकदमा धारा 136 रा.भू.राज.अधि. 1956 — मु0नं0 7 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
दिनांक– 06-10-2021	प्रार्थी नन्दराम पिता रामा तेली निवासी देवरिया तहसील रायपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम देवरिया के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खाता संख्या 134, 144 शामलाती खाते में सहखातेदार के रूप में दर्ज खसरा नम्बरान कमशः 1632 से 1635, 1651, 1652, 1655, किता 7 कुल रकबा 1.59 है0 एवं आराजी संख्या 1640 से 1645 किता 6 रकबा 1.57 है0 भूमि प्रार्थी के स्वयं का नाम नन्दा पिता रामा सा. देह के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी का नाम नन्दराम पिता रामा के बजाय नन्दा पिता रामा अंकन हो रहा है जबकि वास्तविक नाम नन्दराम है जिसके सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज साथ संलग्न है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम देवरिया के खाता संख्या 134, 144 में सहखातेदार नन्दा पिता रामा तेली के बजाय नन्दराम पिता रामा तेली दुरूस्ती किया जाना उचित है, की अभिशंषा की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर सहखातेदार नन्दा पिता रामा तेली के बजाय नन्दराम पिता रामा तेली के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की स्वीकृ[illegible] अलग से लिखाया गया जो शामिल पत्रावली है पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Sundar Lal Bamboda Date: 2021.12.18 16:10:06 IST Reason: SelfAttested 6-10-2021 (सुन्दर लाल बम्बोडा) उपखण्ड अधिकारी, रायपुर उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाड़ा